






Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

दरिनिषिंह बनाम राजबाला सरमा
प्रकरण सं. 1/77/2024 तारीख रज. 23.10.2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
23.10.2024	<p>पत्रावली वाकील वादी विष्णु सेनी की ओर से पेश किया गया। वादी को रजिस्ट्रार को प्रतिवादीगण को अपे रजिस्ट्रार से सम्मान तलब हो। पत्रावली आपदा दिनांक 20.11.2024 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज. </p>	
20.11.24	<p>पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य है। पत्रावली दिनांक 04.12.24 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज. </p>	
04.12.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत की। वाकील वादी उपस्थित। पत्रावली वादी तलबी आपदा दिनांक 24.12.24 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज. </p>	
24.12.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाकील वादी उपस्थित। वाकील वादी को उत्तरवादी की तलबी हेतु न्याय दि. में शामिल होना दिया जाना है। पत्रावली वादी तलबी आपदा दिनांक 27.1.25 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज. </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
24.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील व उनके वादी अनुपस्थित। वकील व उनके वादी को लगातार हारा बार-बार आवाज लगायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके वादी अनुपस्थित। हावा वकील व उनके वादी की अल्प पैकी-अल्प धाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फोनल शूआर होकर बरकर से कम हो। बाक लम्बित पत्रावली दाखिल स्पष्ट है।</p> <p style="text-align: right;">  उपस्थंड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज० </p>	